

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी - रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 44/2025

अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

## अमीर बनाम अमीनत व अन्य

प्रार्थी वकील - श्री प्रवीण चौधरी  
विप्रार्थीगण - श्री फताराम गोदारा (विप्रार्थी सं. 70,72,75,78)

-:: निर्णय ::-

दिनांक - 07.05.2026


प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा आरीसरबाद में खसरा सं. 416, 418, 455, 705/417, 865/486, 866/486, 867/486, 868/656, 869/656 रकबा क्रमशः 0.0480, 0.1942, 6.2888, 5.9246, 1.6187, 3.0351, 25.8514, 0.9064, 10.4410 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र बामणोर, तहसील धनाऊ में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 70,72,75,78 की ओर से अधिवक्ता श्री फताराम गोदारा द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया। शेष विप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजि. डाक से भेजे हुए पर्याप्त समय बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया प्रार्थना पत्र व जवाब ही हमारी बहस है। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। चूंकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि मौजा आरीसरबाद में खसरा सं. 416, 418, 455, 705/417, 865/486, 866/486, 867/486, 868/656, 869/656 रकबा क्रमशः 0.0480, 0.1942, 6.2888, 5.9246, 1.6187, 3.0351, 25.8514, 0.9064, 10.4410 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र बामणोर, तहसील धनाऊ की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को रूपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि दोनो पक्षों के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



  
(रणछोड़ लाल)  
उपखण्ड अधिकारी चौहटन